राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 26, बुधवार, *शाके* 1947- अप्रेल 16, 2025
Chaitra 26, Wednesday, Saka 1947- April 16, 2025

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2025

संख्या प.2(14)विधि/2/2024.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम, 2024

(2025 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2025 को प्राप्त हुई)

लोकतंत्र के सेनानी, जो 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक की आपातकाल की कालावधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26) (निरसित), भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) (निरसित) के उपबंधों के अधीन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए, जेलों या पुलिस थानों में निरुद्ध रहे थे, के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम, 2024 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “समिति” से धारा 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) “द.प्र.सं.” से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) (निरसित) अभिप्रेत है;

(ग) “डी.आई.आर.” से भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) अभिप्रेत है;

(घ) "आपातकाल कालावधि" से 25 जून, 1975 से प्रारंभ होकर 21 मार्च, 1977 तक की कालावधि अभिप्रेत है;

(ङ) "लोकतंत्र के सेनानी" से राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति और जो आपातकाल कालावधि के दौरान लोकतंत्र की संरक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़े और जो इस आपातकाल कालावधि के दौरान किसी भी समय राजनीतिक या सामाजिक आधार पर, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मीसा/डी.आई.आर./द.प्र.सं. की धाराओं 107, 116 व 151 के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहे थे, अभिप्रेत हैं;

(च) "निःशुल्क परिवहन सुविधा" से लोकतंत्र के सेनानियों को, धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा पास अभिप्रेत है;

(छ) "सम्मान राशि" से लोकतंत्र के सेनानियों को, धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित, सम्मान के रूप में प्रदत्त सम्मान राशि अभिप्रेत है;

(ज) "चिकित्सा सहायता" से लोकतंत्र के सेनानियों को, धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित, नकद/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में संदेय चिकित्सा सहायता अभिप्रेत है;

(झ) "मीसा" से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26) (निरसित) अभिप्रेत है।

3. **सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की पात्रता.**- अपने जीवनकाल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के पात्र निम्नलिखित होंगे:-

(i) लोकतंत्र के सेनानी; और

(ii) लोकतंत्र के दिवंगत सेनानी का पति या की पत्नी।

अपवाद: लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

4. **सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की अपात्रता.**- सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के लिए अपात्र निम्नलिखित होंगे:-

(i) कोई व्यक्ति, जिसे आपातकाल कालावधि के दौरान, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से भिन्न कारणों से, जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रखा गया था;

(ii) कोई व्यक्ति, जिसने सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के संबंध में मिथ्या जानकारी या प्रमाणपत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किये थे;

(iii) लोकतंत्र का सेनानी, जो तीस दिवस से कम समय के लिए जेल में रहा है; या

(iv) लोकतंत्र का सेनानी, जो वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम तीस दिवस के लिए जेल में रहा है, किंतु जिसे क्षमा मांगने के पश्चात् जेल से रिहा कर दिया गया है।

5. **लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी.**- (1) लोकतंत्र सेनानियों को ऐसी सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा उपबंधित की जायेगी, जो विहित की जाये।

(2) ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं होगी, जो स्वयं या उसके पति या उसकी पत्नी, राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय/राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियोजित हैं या अन्य स्रोत से चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(3) लोकतंत्र के सेनानियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान पत्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) लोकतंत्र के सेनानियों, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि मंजूर की गयी है, को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय उत्सवों पर सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जायेगा।

6. आवेदन प्रस्तुत करने की रीति.- (1) लोकतंत्र के सेनानी, राजनीतिक या सामाजिक कारण से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रखे जाने के प्रमाणपत्र के साथ, ऐसे आवेदन पत्र में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन करेंगे। जेल में निरुद्ध रखे जाने की दशा में, जेल अधीक्षक का और पुलिस थाने की दशा में, पुलिस अधीक्षक का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक शारीरिक या वित्तीय कठिनाइयों के कारण संबंधित जेल अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसके अनुरोध और शपथपत्र के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट संबंधित जेल अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आवेदक के कारावास के संबंध में शासकीय अभिलेख/प्रमाणपत्र पेश करने का निदेश दे सकेगा।

(3) ऐसे मामलों में जहां जेल/पुलिस थाने में निरूद्ध रखे जाने से संबंधित शासकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, आवेदक का स्वयं का शपथ पत्र स्वीकार किया जायेगा। किन्हीं दो बंदियों द्वारा, जो राजनीतिक या सामाजिक कारण से उसके साथ निरूद्ध रखे गये थे, दिया गया एक प्रमाणपत्र, जिसमें आवेदक के कारावास की कालावधि उल्लिखित हो, भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार अभिप्राप्त किया गया प्रमाणपत्र संबंधित जिले से लोकसभा/राजस्थान विधान सभा के किसी पूर्व/वर्तमान प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होगा।

(4) आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आपातकाल कालावधि के दौरान मीसा/डी.आई.आर./द.प्र. सं. के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारण से अपने कारावास में रहने के कारण, किसी अन्य राज्य/जिले से, पेंशन/सम्मान राशि प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।

7. सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा मंजूर करने की शक्ति और प्रक्रिया.- (1) जिला स्तर पर सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने और आवेदक की पात्रता या अपात्रता के बारे में सिफारिश करने के लिए, एक समिति गठित की जायेगी, जैसी कि विहित की जाये।

(2) सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी या नामंजूरी का आदेश, समिति की सिफारिश के आधार पर, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, किसी भी आवेदन के संबंध में जांच कर सकेगी।

8. लोकतंत्र के सेनानियों की मृत्यु की दशा में.- (1) लोकतंत्र के किसी सेनानी की मृत्यु की दशा में, उसका पति या उसकी पत्नी सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता प्राप्त करेंगे।

(2) सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने वाले किसी लोकतंत्र के सेनानी की मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी या उसके पति को मृत्यु की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर आवेदन करना होगा। ऐसी दशा में, लोकतंत्र के दिवंगत सेनानी की पत्नी या पति लोकतंत्र के सेनानी की मृत्यु की तारीख से केवल सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ, दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

9. अभ्यावेदन.- समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश से संबंधित व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि

विहित किया जाए, अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। राज्य सरकार, अभ्यावेदन प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर-भीतर गुणागुण आधार पर, अभ्यावेदन पर विचार और विनिश्चय करेगी तथा राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और संबंधित व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

10. सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा के आदेश का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गयी सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा का आदेश निम्नलिखित आधारों पर रोका या निरस्त किया जा सकेगा:-

(क) नैतिक अधमता के किसी अपराध में या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सहभागिता;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता के होते हुए भी सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करना;

(ग) मिथ्या जानकारी/शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित आधारों या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त की गयी सूचना के आधार पर, समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस संबंधित व्यक्ति, जिसे सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा मंजूर की गयी है, के मामले की जांच कर सकेगी। समिति की सिफारिश के पश्चात्, मंजूरी के आदेश को रद्द करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा। इस आदेश से व्यथित संबंधित व्यक्ति अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसे धारा 9 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जा सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

11. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चातऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

12. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

13. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 को, जो राजस्थान राजपत्र, भाग iv (ग), असाधारण, दिनांक 12 सितम्बर, 2008 में प्रकाशित हुए थे, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त नियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 15, 2025

No. F. 2(14)Vidhi/2/2024.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Loktantra Ke Senaniyon Ka Samman Adhiniyam, 2024 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 9):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR ACT, 2024

(Act No. 9 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2025)

An

Act

to provide for honour money, medical assistance and free transport facility to the fighters of democracy, who were detained in jails or police stations for social and political activities under the provisions of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Central Act No. 26 of 1971) (repealed), Defence of India Rules, 1971 (repealed) and Code of Criminal Procedure,1973(Central Act No. 2 of 1974) (repealed) during the emergency period from 25th June, 1975 to 21st March, 1977, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fighters of Democracy Honour Act, 2024.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Committee" means committee constituted under section 7;

(b) "Cr.P.C." means Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) (repealed);

(c) "D.I.R" means the Defence of India Rules, 1971 (repealed);

(d) "emergency period" means the period commencing from 25^{th} June, 1975 to 21^{st} March, 1977;

(e) "fighters of democracy" means persons having domicile of Rajasthan and who actively fought to protect the democracy during emergency period and who were detained at any time during this emergency period, on political or social ground in jail or in police station under MISA/DIR/ sections 107, 116 and 151 of the Cr. P.C. for participating in such activities;

(f) "free transport facility" means free travel passes to Fighters of democracy in the buses of the Rajasthan State Road Transport Corporation as provided under section 5;

(g) "honour money" means the honour money awarded as honour to the fighters of democracy as provided under section 5;

(h) "medical assistance" means medical assistance in the form of cash/ direct benefit transfer payable to the fighters of democracy as provided under section 5;

(i) "MISA" means the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Central Act No. 26 of 1971) (repealed).

3. Eligibility to get honour money, medical assistance and free transport facility.- Following shall be eligible to get honour money, medical assistance and free transport facility for their lifetime:-

(i) fighters of democracy; and

(ii) spouses of deceased fighters of democracy;

Exception: Spouses of fighters of democracy shall not be entitled to get free transport facility.

4. Ineligibility to get honour money, medical assistance and free transport facility.- Following shall be ineligible to get honour money, medical assistance and free transport facility:-

(i) a person who, during emergency period, had been detained in jail or police station for reasons other than the political or social reasons;

(ii) a person who has produced false information or certificate or wrong details in respect of establishing his/her right to receive honour money, medical assistance and free transport facility;

(iii) fighter of democracy who has been in jail for less than thirty days; or

(iv) fighter of democracy who has been in jail for at least thirty days after attaining adulthood but has been released from jail after apologizing.

5. Sanction of honour money, medical assistance and free transport facility to the fighters of democracy.- (1) The honour money, medical assistance and free transport facility to be provided to the fighters of democracy shall be such as may be prescribed.

(2) The medical assistance shall not be available to such fighters of democracy who himself or his/her Spouse is employed under State Government/Central Government or Central/State public sector undertakings or are getting medical assistance from other source.

(3) The fighters of democracy shall also be provided Identity Cards by the concerned District Magistrate.

(4) The fighters of democracy who have been sanctioned honour money under this Act shall be honorably invited by the concerned District Magistrate on the national festivals.

6. Manner of submitting application.- (1) Fighters of democracy shall apply in such application form as may be prescribed along with certificate of detention in the jail or in police station for political or social reason. In case of detention in jail a certificate of Superintendent of Jail and in case of police station, certificate of Superintendent of Police shall be compulsorily attached and presented to the concerned District Magistrate.

(2) If the applicant is not able to get the certificate from concerned Superintendent of Jail/Superintendent of Police due to physical or financial difficulties, then on the basis of his request and affidavit, the District Magistrate may direct the concerned Superintendent of Jail/Superintendent of Police to produce the official records /certificate regarding imprisonment of the applicant.

(3) In such cases where the official records related to detention in Jail/Police Station are not available, the applicant's own affidavit shall be accepted. A certificate given by any two prisoners who were detained with him/her for political or social reason, mentioning the period of the applicant's imprisonment, shall also be submitted along with the application. The certificate so obtained shall be required to be certified by any former/present representative of the Lok Sabha/Rajasthan Legislative Assembly from the concerned district.

(4) The applicant shall have to submit an affidavit to the effect that he/she is not receiving pension/honour money from any other State/District due to his/her imprisonment during emergency period for political or social reason under MISA/DIR/Cr.P.C.

7. Power and process of sanction of honour money, medical assistance and free transport facility.- (1) To scrutinize applications received for sanction of honour money, medical assistance and free transport facility at district level, and to recommend about eligibility or ineligibility of applicant a committee shall be constituted as may be prescribed.

(2) The sanction or rejection order of honour money, medical assistance and free transport facility shall be issued by the concerned District Magistrate on the basis of Committee's recommendation.

(3) The State Government, if it deems necessary, may make enquiry regarding any application.

8. In case of death of fighters of democracy.- (1) In case of death of a fighter of democracy, his/her spouse shall get the honour money and medical assistance.

(2) On the death of a fighter of democracy receiving honour money, medical assistance and free transport facility, his/her spouse shall have to apply within ninety days from the date of death. In such case spouse of deceased fighter of democracy shall be entitled to get only honour money and medical assistance from the date of death of fighter of democracy.

(3) With every such application, documentary evidence shall have to be attached as may be prescribed.

9. Representation.- Any concerned person aggrieved by the order issued by the District Magistrate on the basis of recommendations of the Committee, may submit his representation to the State Government within thirty days from the date of order in such form as may be prescribed. The State Government shall consider and decide the representation on merit basis within forty five days from the date of receipt of representation and decision of the State Government shall be final and binding on concerned person.

10. Cancellation of order of honour money, medical assistance and free transport facility.- (1) The order of sanction of honour money**,** medical assistance and free transport facility under this Act may be withheld or cancelled on the following grounds:-

(a) participation in any crime of moral turpitude or anti-national activity;

(b) receiving the honour money**,** medical assistance and free transport facility despite any ineligibility under this Act;

(c) submission of false information /affidavit.

(2) On the basis of grounds mentioned in sub-section (1) or any relevant complaint or representation made or *suo moto* information received, the Committee after giving reasonable opportunity of hearing may enquire the case of concerned person whose honour money, medical assistance and free transport facility has been sanctioned. After recommendation of the Committee, the right to cancel order of sanction shall vest with the District Magistrate. The concerned person aggrieved by this order may submit his representation that may be disposed of as per provisions of section 9.

(3) If any person receives honour money on the basis of false documents, such money shall be recoverable as arrears of land revenue.

11. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately

following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

12. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of the State Legislature.

13. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Lok Tantra Senani Samman Nidhi Rules, 2008, which were published in Rajasthan Gazette, Part IV(C), Extraordinary, dated 12th September, 2008 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said rules, anything done or action taken under the said rules, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।